झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्रांक– वि0प्रा0गैर योजना–52/11 /राँची, दिनांक–

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी प्राचार्य,
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू।

विषय :– **वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय अभियंत्रण संस्थानों के स्थापना व्यय हेतु मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–45–स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण के तहत विभिन्न ईकाई में कुल रू0 12,00,000/– (रू0 बारह लाख) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन निम्न इकाई में उपबंधित राशि में से आवंटन निम्न तालिका के अनुसार कुल रूपये 12,00,000/– (रू0 बारह लाख) मात्र का आवंटन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

क्र0	इकाई का नाम	रा0अ0महा0, पलामू	कुल
1	वेतन (विपत्र कोड़–43S22030011245000101)	10,00,000.00	10,00,000.00
1	देशीय यात्रा व्यय (विपत्र कोड़–43S22030011245000213)	2,00,000.00	2,00,000.00
	कुल	12,00,000.00	12,00,000.00

02. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक– 257/बजट दिनांक– 21.03.2024 एवं अन्य सुसंगत परिपत्रों के आलोक में प्रदान की जा रही है, अतएव राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त परिपत्रों में दिए गए निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आपकी जबाब देही होगी।

03. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू होगें।

04. राशि के व्यय में जहाँ तक हो सके मितव्ययिता बरती जाय।

05. यह राशि स्थापना व्यय से संबंधित है।

06. वेतन मद में राशि की कमी होने पर पूर्ण औचित्य के साथ राशि की मॉग यथा समय करेगें।

07. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।

08. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में की जाएगी, राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा

09. विपत्र पर बजट शीर्ष एवं विपत्र कोड सही एवं सुस्पष्ट रूप से अंकित करेगें, ताकि महालेखाकार कार्यालय को वाउचर पोस्टिंग करने की असुविधा नहीं हो।

10. आवंटित राशि का दूसरे मदों में दुर्विनियोग या विचलन कदापि नहीं किया जाय।

11. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से करेगें।

12. देशीय यात्रा भत्ता इकाई में आवंटित की जा रही राशि वित्त विभाग के पत्रांक 204/बजट दिनांक 06.03.2025 के द्वारा तृतीय अनुपूरक से प्राप्त हुआ है।

13. राशि की निकासी जिला कोषागार, पलामू से की जायेगी।

14. व्यय की गई राशि का अंकेक्षण महालेखाकार, राँची एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) के क्षेत्रान्तर्गत रहेगा।

15. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

16. व्यय विवरणी टी0भी0न0 सहित संकलित कर महालेखाकार कार्यालय में संधारित आकड़ा से त्रैमासिकी लेखाओं का सत्यापन/मिलान सुनिश्चित करेगें तथा इस पर व्यक्तिगत ध्यान देगें।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सुनील कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0गैर योजना–52/11 /राँची, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0गैर योजना–52/11– 280 /राँची, दिनांक– 20.03.2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, राँची/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/बजट पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा को एक अतिरिक्त प्रति के साथ गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03/25

सरकार के अपर सचिव